पजाकृत डाक स

सं0– I–12012/11/28वीं वा॰/स्था॰–2/न्या॰जॉच/कां॰(पाय॰) आनन्द पाल/2024–
कार्यालय सेनानी, 28वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार,
पत्रालय–जाटूसाना, जिला–रेवाडी (हरियाणा)–123401

दिनांक–

//नोटिस//

दल संख्या–060250055 कां./पाय. आनन्द पाल, पुत्र–श्री राज कुमार, Vill-Majra Khurd, Post-Mahendergarh, Tehsil&Distt-Mahendergarh(Haryana)-123029 को इस नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि आप दिनांक 16.01.2024 से 14.02.2024 तक स्वीकृत 30 दिन अर्जित अवकाश (दिनांक 14.01.2024 के रविवार एवं दिनांक 15.01.2024 के प्रतिबंधित अवकाश सहित) व्यतीत करने के उपरांत दिनांक 14.02.2024 (अप्रा.) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व पूर्व सूचना के डियूटी से अनपुस्थित चल रहे हैं, जो कि भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा 21 (ख) के तहत दण्डनीय अपराध है। आपको बार–बार पंजीकृत डाक से पत्राचार करने/स्मरण पत्र भेजने के बावजूद भी आप न तो स्वयं ड्यूटी पर हाजिर हुए हैं और ना ही आपने इन पत्राचारों के एवज में कोई संतुष्टिपूर्ण लिखित पत्राचार/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। आपके अवकाश से अनुपस्थित रहने के कारणों का पता लगाने के लिए भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा 74(1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार 28वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल के आदेश संख्या–640 दिनांक 01.04.2024 के तहत न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जॉच समिति की राय तथा संस्तुति के आधार पर भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम–1992 की धारा 74(2) में दिए गए प्रावधानानुसार आपको इस कार्यालय के आदेश संख्या–2755–79 दिनांक 13.05.2024 के तहत दिनांक 15.02.2024 (पूर्वा.) से इस बल से "**भगौड़ा**" घोषित किया गया है।

2. अतः दल संख्या–060250055 कां./पाय. आनन्द पाल, पुत्र–श्री राज कुमार को इस नोटिस के माध्यम से पुनः सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर 28वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस बल, जाटूसाना, जिला–रेवाड़ी (हरियाणा) में अपनी ड्यूटी हेतु आमद दें। यदि आप दिए गए समय में ड्यूटी पर आमद देने में असमर्थ रहते है तो भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली–1994 के नियम 17 पठित नियम 20 के अनुसार आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

सेनानी, 8/7/24
सेनानी/Commandant
28वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु बल
28th Bn. ITB Police

CBC1911211100981425